न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–16/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2016/00127

उनवान

मांगीलाल पुत्र मूला जाति गूजर निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरका तामील जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।
3. प्रधानाध्यापक राज0प्राथ0 विद्यालय नगला खूबी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 01.02.2016 उनवानी मांगीलाल बनाम सरकार मु0न0 180/2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 07.08.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 662 रकवा 02 बीघा वाके ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास के अपीलाण्ट/प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। रैस्पो0/अप्रार्थीगण ने अपीलाण्ट/प्रार्थी के पिता के अनपढ होने के कारण, उनसे तथ्य छुपाते हुए उक्त आराजी में अवैध रूप से एक स्कूल का निर्माण करा लिया गया। स्कूल के निर्माण के बाद आवंटन कराया गया जो दिनांक 26.12.2006 को रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01

द्वारा किया गया, जो कि खसरा नम्बर 664 रकवा 06 बीघा 12 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता में से एक बीघा की किस्म खारिज करते हुये सार्वजनिक भवन निर्माण के लिये किया गया परन्तु उक्त विद्यालय भवन का निर्माण आवंटन से पूर्व ही अपीलाण्ट/प्रार्थी की आराजी में कर लिया, जिससे अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हुई है, अतः अपीलाण्ट/प्रार्थी की आराजी को खाली कराना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, रैस्पो0/अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया कि वह उक्त विवादित आराजी में बने स्कूल में किसी तरह का नया निर्माण नहीं करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद सिद्ध हो रहा है कि आराजी खसरा नम्बर 662 रकवा 02 बीघा का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज है और रैस्पो0 द्वारा उसको आवंटित खसरा नम्बर 664 की आड में अपीलाण्ट की खातेदारी में स्कूल का निर्माण कर दिया है। प्रकरण में तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित है। स्कूल अपीलाण्ट की खातेदारी में बना हुआ है जिस पर रैस्पो0 का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को रैस्पो0 को भविष्य में कोई अग्रिम अतिक्रमण नहीं करने व मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत रखने हेतु पाबन्दी आयद करने के आदेश जारी करने चाहिए थे। ऐसा नहीं कर अपीलाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने एवं रैस्पो0 के विरूद्ध वाद के निर्णय होने तक, मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। मौके पर राज0 उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट ने प्रस्तुत अपील के माध्यम से रैस्पो0 के विरूद्ध विवादित भूमि पर नवीन निर्माण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 में, मौके पर विद्यालय की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चार दिवारी होना अंकित है। इसके अलावा प्रार्थी/अपीलाण्ट स्वयं का, प्रार्थना पत्र में कथन है कि विद्यालय का निर्माण, आवंटन से पूर्व ही हो चुका है। अब और कोई निर्माण प्रस्तावित है, ऐसा कोई आक्षेप, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में इंगित नहीं किया है एवं ना ही पत्रावली पर नवीन निर्माण की सम्भावना का कोई साक्ष्य ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलाण्ट के हक में सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का मामला नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official